

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/1070 /लेखा

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी, 2019

संचालनालय, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र/पृष्ठांकन क्रमांक क्रमांक DTA/मास्टर/डाटा माइग्रेशन/एम्प-मास्टर/2018/757 दिनांक 22.02.19, जो कि IFMIS अंतर्गत नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के रेग्युलर/नॉन रेग्युलर एम्पलाई कोड निर्मित किये जाने के संबंध में है, की प्रतिलिपि :--

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0, खंडीठ ग्वालियर/इन्दौर।
2. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही हेतु।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
5. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश----- (म0प्र0)।
7. पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय----- (म0प्र0)।
8. विशेष न्यायाधीश,----- (म0प्र0)।
9. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
10. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
11. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि नवनियुक्त कर्मचारियों को भौतिक कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व रजिस्ट्री के डीडीओ महोदय से संपर्क कर IFMIS System में आपके द्वारा फीड कराये गये पदों के Setup से मिलान किया जाना सुनिश्चित करें।
12. सहायक वेतन देयक राजपत्रित, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
13. सहायक वेतन देयक, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।
14. सहायक पासबुक, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(ए0के0 महोबिया) 26/02/19
ओ0एस0डी0 (लेखा)

संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र.

खण्ड 'अ' पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक/DTA/मास्टर/डाटा माइग्रेशन/एम्प.मास्टर /2018/757

भोपाल, दिनांक 22/02/2019

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष ,

मध्यप्रदेश ।

विषय:-आईएफएमआईएस अंतर्गत नवनियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के रेग्यूलर/नॉन रेग्यूलर एम्पलाई कोड निर्मित किये जाने के संबंध में ।

-----000-----

CSFMS अंतर्गत एम्पलाई कोड निर्मित किये जाने हेतु आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एम्पलाई डाटाबेस फार्म भौतिक रूप से आवश्यक दस्तावेजों के साथ कोषालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरांत कोषालय द्वारा एम्पलाई कोड जनरेट किये जाते हैं । वर्तमान में IFMIS साफ्टवेयर के सर्विस मेटर माइग्रेशन अंतर्गत एम्पलाई डाटाबेस फार्म दिनांक 18.02.2019 से समस्त डी.डी.ओ. लॉगिन पर उपलब्ध होगा । जिसमें आनलाईन डाटाबेस फार्म आहरण संवितरण अधिकारी के माध्यम से कोषालय को भेजा जावेगा। कोषालय द्वारा अप्रुवल होने पर एम्पलाई कोड जनरेट होगा।

एम्पलाई कोड बनाने के पश्चात् PRAN प्राप्त करने के लिए एस-1 फार्म पृथक से बनाना होता है, जिससे प्रान प्राप्त करने एवं वेतन आहरण में विलंब होता है । उक्त व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सीधे IFMIS में एम्पलाई कोड बनाने की सुविधा प्रदान की गई है । इस हेतु कर्मचारी के विवरण के साथ-साथ पद, वेतनमान् बैंक खाता विवरण भरा जाना आवश्यक होगा । एम्पलाई कोड किसी रिक्त पद के विरुद्ध ही बनाया जा सकेगा । आहरण अधिकारी के स्तर पर समस्त विवरण भरने के साथ एस-1 फार्म स्वतः जनरेट होगा । एस-1 फार्म का प्रिंट लेकर हस्ताक्षर उपरांत कोषालय अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा । कोषालय अधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन किया जाकर हस्ताक्षर उपरांत NSDL के स्थानीय केन्द्र पर एस-1 फार्म जमा कराया जाएगा ।

कृपया इस संबंध में अपने स्तर से समस्त अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- दिशा निर्देश की छायाप्रति (ईमेल से प्रेषित)


आयुक्त

कोष एवं लेखा

पृ.क्रमांक/DTA/मास्टर/डाटा माइग्रेशन/एम्प.मास्टर /2018/756

भोपाल, दिनांक 22/02/2019

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
2. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
3. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, म.प्र.


आयुक्त

कोष एवं लेखा